

कार्यालय-अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ /2019 लखनऊ, दिनांक: 15 :मई-2019

--: आदेश:--

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह जुलाई-2019 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम निम्नवत निर्गत किया जाता है :-

क्र०सं०	बैठने का स्थान	कार्य आवंटन	कार्य- अवधि
1	पीठ-1, आगरा	पीठ-1 व 2 आगरा	22.07.19 से 27.07.19
2	पीठ-1, गाजियाबाद	पीठ-1 व 2 गाजियाबाद	22.07.19 से 27.07.19
3	पीठ-1, कानपुर	पीठ-1, 2, 3 व 4 कानपुर	01.07.19 से 06.07.19
4	पीठ-2, लखनऊ	पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ	08.07.19 से 12.07.19
5	पीठ-1, नोएडा	पीठ-1 व 2 नोएडा	15.07.19 से 20.07.19
6	पीठ- 1, वाराणसी	पीठ-1, 2, 3, 4, 5 व 6 वाराणसी	08.07.19 से 12.07.19
7	पीठ-मुजफ्फरनगर	पीठ-मुजफ्फरनगर	01.07.19 से 06.07.19
8	पीठ-बरेली	पीठ-बरेली	22.07.19 से 27.07.19
9	पीठ-अलीगढ़	पीठ-अलीगढ़	29.07.19 से 31.07.19
10	पीठ- झांसी	पीठ- झांसी	01.07.19 से 06.07.19
11	पीठ- मुरादाबाद	पीठ- मुरादाबाद	15.07.19 से 20.07.19

ह0-15.05.19

(प्रेम कला सिंह)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन: वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/810 /2019, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-सम्बन्धित सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण।
- 2-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 3-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 4-सम्बन्धित राज्य प्रतिनिधि/अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदया की आज्ञा से,

निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

